बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में कई विज्ञापनों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है।

सम्प्रति कतिपय प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट के संबंध में भ्रामक एवं गलत खबरें प्रकाशित एवं प्रचारित की जा रही हैं, जो आयोग कार्यालय को प्राप्त श्री भी॰ कुमार के परिवाद पत्र दिनांक 03.10.2017 में वर्णित आरोपों पर आधारित है।

सर्वसाधारण को वस्तुस्थिति की सही जानकारी के लिए बिहार लोक सेवा आयोग श्री भी॰ कुमार के आरोपों का कंडिकावार निम्न प्रकार खण्डन करता है:–

क्र॰सं॰	आरोप/शिकायत	खण्डन
1.	Subject- Physics, Advt. No. 65/2014, Roll No. - 65011356 का चयन Magadh University में हुआ है, जिनका BPSC के द्वारा जारी Physics के किसी भी Interview List में जिक्र नहीं किया गया है। अर्थात् उन्हें Ineligible List से बिना Interview लिए सीधे Result List में शामिल किया गया है।	उक्त अभ्यर्थी के संबंध में संबंधित विज्ञापन सं. – 65/2014 की संचिका में सक्षम प्राधिकार द्वारा दिनांक 04.05.2016 को (अनुक्रमांक – 65011356 को) पूर्णतया औपबंधिक रूप से अर्हित करते हुए दिनांक 07.05.2016 को द्वितीय पाली के साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया गया था। इसकी सूचना अभ्यर्थी को ई–मेल के माध्यम से भेजी गई थी। उक्त आदेश के आलोक में अभ्यर्थी (अनुक्रमांक – 65011356) दिनांक 07.05.2016 को द्वितीय पाली के साक्षात्कार में शामिल हुए थे।
2.	Subject- Economics, Advt. No. 52/2014, Roll No. - 52011795 को Eligible List में Category – 05 (BC-II) दिखाया गया है जबकि इनका Result, Category – 04 (BC-I) में दे दिया गया है।	अनुक्रमांक – 52011795 के द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में कोटि – 06 एवं जाति – हलवाई अंकित किया गया है। साक्षात्कार के समय उक्त उम्मीदवार द्वारा भरे गये सार पत्र में सम्बन्धित जाति कॉलम में हलवाई दर्ज किया गया और तत्संबंधी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का मूल से सत्यापन भी कराया गया। साक्षात्कारोपरान्त जाँच के क्रम में उनके अभिलेखों में किए गए दावे एवं अंकित जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त उम्मीदवार की आरक्षण कोटि में सुधार कर वास्तविक कोटि – 04 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) किया गया है। तदनुसार ही उक्त उम्मीदवार का परीक्षाफल उनकी सही आरक्षण कोटि – 04 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।
3.	एक ऐसे अभ्यर्थी का भी चयन किया गया है, जिनके Roll No. and Name का जिक्र BPSC के द्वारा जारी Eligible List, Ineligible List and Late Application List में से किसी में भी नहीं है। (नोट – इसका Roll No. अभी नहीं बताऊँगा)।	इस शिकायत में आरोपकर्ता द्वारा न तो विज्ञापन संख्या और न किसी उम्मीदवार का अनुक्रमांक ही बताया गया है। अतः इस बिन्दु पर आयोग स्तर से किसी प्रकार की सूचना देना संभव नहीं है।
4.	Subject- Chemistry, Advt. No. 66/2014 में BPSC के द्वारा जारी Eligible List में केवल Roll No. 66011306 को Handicapped के श्रेणी में रखा है, जबकि Result List में Roll No. 66011075, 66011306 एवं अन्य कई अभ्यर्थियों को Handicapped के श्रेणी में रख दिया है।	आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित अर्हित उम्मीदवारों की सूची में अनुक्रमांक – 66011306 के समक्ष उनकी निशक्तता का उल्लेख किया गया है जबकि अन्य निशक्त उम्मीदवारों के अनुक्रमांक के समक्ष निशक्तता का उल्लेख नहीं हो पाया था। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विज्ञापन सं. – 66/2014 में सभी अर्हित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इस आधार पर अनुक्रमांक – 66011075 एवं 66011306 सहित अन्य निशक्त उम्मीदवार भी साक्षात्कार में शामिल हुए थे। इन संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरे गये मूल आवेदन पत्र में निशक्तता का दावा किया गया था, और साक्षात्कार के समय निःशक्तता का प्रमाण पत्र भी सत्यापित कराया गया था, जिसके आधार पर ही उन्हें निशक्त उम्मीदवार के रूप में मान्य करते हुए नियमानुसार परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है।
5.	Subject- Geography, Advt. No. 55/2014, but में BPSC के द्वारा जारी प्रथम Eligible List (2269), Ineligible List (3017), and late Application List (16) में कुल 5302 (2269+3017+16) अभ्यर्थियों का सूची जारी किया गया है, जबकि दिनांक 11/05/2015 को BPSC के द्वारा बनायी गयी एक सूची में Geography Subject में कुल आवेदनों की संख्या केवल 5230 ही दिखायी गयी है। अर्थात् 72 बाद में ले लिया गया है।	आयोग द्वारा एक साथ कई विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। तदुपरान्त डाक द्वारा प्राप्त आवेदनों की विज्ञापनवार छटनी की जाती है एवं उन्हें संबंधित परीक्षा शाखाओं को उपलब्ध कराया जाता है। इस क्रम में कभी–कभी अन्य विज्ञापनों के आवेदन भी एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा/जांच के बाद अंतिम सूची आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रक्रिया के अनुसार विज्ञापन संख्या – 55/2014, भूगोल विषय के अन्तर्गत कुल 5302 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसे आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया और तदनुसार आयोग के वेबसाईट पर 2269 अर्हित उम्मीदवारों की सूची, 3017 अनर्हित उम्मीदवारों की सूची एवं 16 विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र से संबंधित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी। शिकायत पत्र के साथ संलग्न आवेदनों से संबंधित संख्या की विवरणी अपूर्ण है। आयोग पूर्ण निष्ठा एवं पारदर्शी प्रक्रिया से आवेदनों का निष्पादन करता है, कोई त्रुटि पाये जाने पर उसके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करता है।

उपरोक्त कंडिकाओं में अंकित स्पष्टीकरण के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये तथाकथित आरोप वेबुनियाद, तथ्यहीन, भ्रामक, गलत एवं सत्य से परे हैं। आयोग, इन आरोपों का पूर्ण रूप से खंडन करता है।

24/11/17

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना